(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 25/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) – संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।। के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 81और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं".

[फा.सं. 354/173/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से सा.का.नि. 703(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 1054 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 21/2017– संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।